भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 68*

07 फरवरी, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष सेवाओं को बढ़ावा देना

*68. श्री अनिल फिरोजिया:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में आयुष सेवाओं को बढ़ावा देने और उन्हें आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं के साथ एकीकृत करने के लिए कोई विशेष योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा आयुष उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और नकली उत्पादों की जांच के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है;

(घ) क्या सरकार आयुर्वेद, योग और अन्य पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को वैश्विक मान्यता दिलाने के लिए किसी विशेष योजना या अभियान पर काम कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ङ): विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

लोक सभा में 07 फरवरी, 2025 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 68* के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): आयुष मंत्रालय पहले से ही ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों सहित देश में आयुष सेवाओं के समग्र विकास और संवर्धन के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के माध्यम से राष्ट्रीय आयुष मिशन की केंद्रीय प्रायोजित योजना को कार्यान्वित कर रहा है और आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी जैसी पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को मुख्यधारा की स्वास्थ्य सेवा पद्धति को बढ़ावा देने और एकीकृत करने के उनके प्रयासों का समर्थन कर रहा है। भारत सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) और जिला अस्पतालों (डीएच) में आयुष सुविधाओं के सह-स्थापन की नीति अपनाई है, इस प्रकार रोगियों को एक ही स्थान पर विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों के लिए विकल्प सक्षम किया गया है। आयुष चिकित्सकों/पैराचिकित्सकों की नियुक्ति और उनके प्रशिक्षण को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय द्वारा समर्थन दिया जा रहा है, जबकि आयुष अवसंरचना, उपकरण/फर्नीचर और दवाओं के लिए समर्थन राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) के तहत आयुष मंत्रालय द्वारा साझा जिम्मेदारियों के रूप में प्रदान किया जा रहा है।

एनएएम अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित गतिविधियों के लिए प्रावधान करता है:

i. मौजूदा आयुष औषधालयों और उप स्वास्थ्य केंद्रों को उन्नत करके आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) का संचालन
ii. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंदों (सीएचसी) और जिला अस्पतालों (डीएच) में आयुष सुविधाओं की सह-स्थापना
iii. मौजूदा एकल सरकारी आयुष अस्पतालों का उन्नयन
iv. मौजूदा सरकारी/पंचायत/सरकारी सहायता प्राप्त आयुष औषधालयों का उन्नयन/मौजूदा आयुष औषधालय (किराए पर/जीर्ण-शीर्ण आवास पर) के लिए भवन का निर्माण/उन क्षेत्रों में नए आयुष औषधालय की स्थापना के लिए भवन का निर्माण, जहां कोई आयुष सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं
v. 10/30/50 बिस्तरों तक के एकीकृत आयुष अस्पतालों की स्थापना
vi. राजकीय आयुष अस्पतालों, राजकीय औषधालयों और सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थागत आयुष अस्पतालों को जरूरी औषधियों की आपूर्ति
vii. आयुष जन स्वास्थ्य कार्यक्रम
viii. उन राज्यों में नए आयुष महाविद्यालयों की स्थापना जहां सरकारी क्षेत्र में आयुष शिक्षण संस्थानों की उपलब्धता अपर्याप्त है
ix. आयुष स्नातकपूर्व संस्थानों और आयुष स्नातकोत्तर संस्थानों का अवसंरचनात्मक विकास/पीजी/फार्मेसी/पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों को शामिल करना

इसके अलावा, मंत्रालय आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा सहित आयुष चिकित्सा प्रणालियों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए आयुष में सूचना शिक्षा और संचार (आईईसी) को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना को भी लागू कर रहा है। इसका उद्देश्य देश भर में आबादी के सभी वर्गों तक पहुँचना है। यह योजना राष्ट्रीय/राज्य आरोग्य मेलों, योग उत्सवों/उत्सवों, आयुर्वेद पर्वों आदि के आयोजन के लिए सहायता प्रदान करती है।

(ग): औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 में नियम 158-ख आयुर्वेदिक, सिद्ध, यूनानी दवाओं के निर्माण के लिए लाइसेंस जारी करने के लिए विनियामक दिशा-निर्देश प्रदान करता है और औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 में नियम 85 (क से आई) होम्योपैथी दवाओं के निर्माण के

लिए लाइसेंस जारी करने के लिए विनियामक दिशा-निर्देश प्रदान करता है। विनिर्माताओं के लिए विनिर्माण इकाइयों और दवाओं के लाइसेंस के लिए निर्धारित आवश्यकताओं का पालन करना अनिवार्य है, जिसमें सुरक्षा और प्रभावशीलता का प्रमाण, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 की अनुसूची टी और अनुसूची एम-आई के अनुसार अच्छे विनिर्माण अभ्यास (जीएमपी) का अनुपालन और संबंधित फार्माकोपिया में दिए गए दवाओं के गुणवत्ता मानक शामिल हैं।

औषधि निरीक्षक नियमित रूप से उद्योगों और बाजारों से दवाओं के नमूने एकत्र करते हैं और उन्हें परीक्षण के लिए राज्य डीटीएल को भेजते हैं तथा ऐसी परीक्षण रिपोर्टों के आधार पर आगे की आवश्यक कार्रवाई करते हैं।

आयुष मंत्रालय की आयुष औषधि गुणवत्त एवं उत्पादन संवर्धन योजना (एओजीयूएसवाई) की केंद्रीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी (एएसयू एडं एच) औषधियों के लिए फार्माकोविजिलेंस कार्यक्रम की स्थापना की गई है। 2018 से तीन स्तरीय संरचना कार्यशील हैं जिसमें एक राष्ट्रीय भेषजसतर्कता समन्वय केंद्र (एनपीवीसीसी), पाँच मध्यवर्ती भेषजसतर्कता केंद्र (आईपीवीसीएस) और निन्यानबे परिधीय भेषजसतर्कता केंद्र (एनपीवीसीसी) शामिल हैं जो पूरे देश में स्थापित हैं। आयुष मंत्रालय के अंतर्गत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआईआईए), नई दिल्ली आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी औषधियों के लिए राष्ट्रीय भेषजसतर्कता कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय भेषज सतर्कता समन्वय केंद्र (एनपीवीसीसी) है। कार्यक्रम का उद्देश्य एएसयू एडं एच दवाओं में दवा सुरक्षा की निगरानी करके भारतीय आबादी में रोगी सुरक्षा में सुधार करना है, संदिग्ध प्रतिकूल दवा प्रतिक्रियाओं की रिपोर्टिंग संस्कृति को विकसित करना, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आने वाले भ्रामक विज्ञापनों पर निगरानी रखना है। इसके अलावा, आयुष चिकित्सीय दृष्टिकोण के बारे में जागरूकता पैदा करने और स्वास्थ्य पेशेवरों में आयुष दवाओं के व्यवस्थित उपयोग के बारे में शिक्षित करने के लिए देश भर में नियमित रूप से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

(घ) और (ङ): आयुष मंत्रालय के पास आयुष के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है। इस योजना के तहत मंत्रालय आयुष उत्पादों और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारतीय आयुष दवा निर्माताओं/आयुष वैश्विक सेवा प्रदाताओं को सहायता प्रदान करता है; आयुष चिकित्सा पद्धतियों के अंतर्राष्ट्रीय प्रचार, विकास और मान्यता की सुविधा प्रदान करता है; हितधारकों के बीच बातचीत को बढ़ावा देता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयुष के बाजार का विकास करता है; विदेशी देशों में आयुष अकादमिक पीठों की स्थापना के माध्यम से शिक्षाविदों और अनुसंधान को बढ़ावा देता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयुष चिकित्सा पद्धतियों के बारे में जागरूकता और रुचि को बढ़ावा देने और मजबूत करने के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला/संगोष्ठियों का आयोजन करता है।

आयुष मंत्रालय हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (आईडीवाई) मनाने के लिए नोडल मंत्रालय है। आईडीवाई का आयोजन कॉमन योग प्रोटोकॉल (सीवाईपी) पर आधारित सामूहिक योग प्रदर्शन पर केंद्रित है, जो योग पोर्टल (yoga.ayush.gov.in) पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। मानवता की सेवा में योग के महत्व को उजागर करने के उद्देश्य से 21 जून, 2024 को दुनिया भर में दसवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (आईडीवाई) मनाया गया। इस वर्ष आईडीवाई का विषय 'स्वयं और समाज के लिए योग' था।

****